



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : phdcell@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359400

क्र./629/शोध/2026

दुर्ग, दिनांक : 18 /02/2026

// सूचना //

विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक – 45 (संशोधित) एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के प्रावधान अंतर्गत नवीन शोध निर्देशक मान्य किए जाने हेतु समस्त इच्छुक आवेदकों से निम्न विषयों हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-

1 हिन्दी	8 समाजशास्त्र,	15 प्राणी शास्त्र
2 गणित,	9 बायोटेक्नोलॉजी	16 शिक्षा
3 ठतिहास	10 अर्थशास्त्र	17 भूगोल
4 माइक्रोबायोलॉजी	11 भौतिकी	18 भूविज्ञान
5 गृह-विज्ञान	12 वनस्पति विज्ञान	19 मनोविज्ञान
6 टंग्रेजी	13 वाणिज्य	
7 राजनीति विज्ञान	14 रसायन शास्त्र	

अतः उपरोक्त विषयों में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 18/02/2026 से दिनांक 06/03/2026 तक निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

शोध निर्देशक की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.durguniversity.ac.in से डाउनलोड कर समस्त दस्तावेजों सहित पी-एच. डी. प्रकोष्ठ में उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि में जमा किया जा सकता है।

नोट :- 1. अपूर्ण एवं अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किया जाएगा।


कुलसचिव

पृ.क्र./630/शोध/2026

प्रतिलिपि:

दुर्ग, दिनांक : 18 /02/2026

1. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को समस्त शिक्षकों को सूचित करने संबंधित आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
2. वि.वि. वेबसाईट प्रभारी, हेमचंद यादव वि.वि. दुर्ग की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
3. कुलपति महोदय के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
4. कार्यालय फाईल।


प्रभारी, पी-एच. डी. प्रकोष्ठ



शोध निर्देशक के रूप में मान्यता हेतु आवेदन

प्रति,

कुलसचिव,
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ. ग.)

विषय:-विषय में शोध निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन।
महोदय,

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में अध्यादेश क्र.-45 (संशोधित) एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश अनुसार शोधकार्य करवाने हेतु विषय में शोध निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान करने की कृपा करें।

- नाम :
- पिता/पति का नाम :
- पत्र व्यवहार का पता :
- मोबाइल नंबर :
- ईमेल आईडी :
- शैक्षणिक योग्यता : i. स्नातक..... उत्तीर्ण वर्ष.....
संस्था का नाम.....
ii. स्नातकोत्तर..... उत्तीर्ण वर्ष.....
संस्था का नाम.....
- एम.फिल : उत्तीर्ण वर्ष.....संस्था का नाम.....
- पीएचडी का विषय अधिसूचना जारी तिथि.....शोध उपाधि तिथि.....
- पीएचडी उपाधि किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय की गई है
(कंडिका 04 से 06 तक प्रत्येक अंक सूची या प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)
- कार्यरत महाविद्यालय का नाम :शासकीय/अशासकीय
- पद का नाम : नियुक्ति तिथि
- नियुक्ति का आधार छ.ग. लोक सेवा आयोग परीक्षा/परिनियमन-28/अन्य..... विषय.....
- उपरोक्त कंडिका 07 के अनुसार क्या आपकी नियुक्ति उसी विषय में किया गया है जिस विषय में आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, हाँ/नहीं
- अध्यापन अनुभव (शोध उपाधि पी-एच. डी. के बाद) : i. स्नातक स्तरवर्षदिवस
ii. स्नातकोत्तर स्तर वर्षदिवस
- शोध एवं प्रकाशन : i. राज्यस्तरीय ii. अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय
(Peer Reviewed एवं Refereed शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों (प्राध्यापक/सह प्राध्यापक - 05 शोधपत्र, सहायक प्राध्यापक - 03 शोधपत्र) की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
- प्रकाशित पुस्तकों की संख्या :
- अन्य :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

प्राचार्य

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

शोध निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान करने संबंधी परीक्षण हेतु निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें:—

1. 10वीं एवं 12 वीं कक्षाओं की अंकसूचियाँ
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर (प्रत्येक वर्ष) की अंकसूचियाँ
3. NET/SLET/अन्य संबंधित प्रमाण पत्र (यदि हो तो)
4. पी-एच. डी. शोध उपाधि एवं अधिसूचना
5. अनुभव प्रमाणपत्र (जिस विषय हेतु नियुक्ति की गई है एवं उसी विषय में अध्यापन कार्य कराया जाता है, के अनुसार)
6. शोध पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति (ISSN/ISBN/Impact Factor/अन्य विवरण सहित)
7. महाविद्यालय में नियुक्ति आदेश पत्र की छायाप्रति

स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

मैं.....प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक,
विषय.....महाविद्यालय का नामप्रमाणित करते हुए
घोषणा करता/करती हूँ कि छत्तीसगढ़ संघ लोक सेवा आयोग/विश्वविद्यालय परिनियम-28/अन्य के
प्रावधानानुसार मेरी नियुक्ति संबंधित महाविद्यालय मेंविषय हेतु की गई है
एवं मेरे द्वारा उक्त विषय में अध्यापन संबंधित कार्य कराया जाता है तथा यह भी कि विश्वविद्यालय अध्यादेश-45
(संशोधित) एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का मेरे द्वारा स्पष्ट
रूप से अवलोकन किया गया है। यह कि आवेदन पत्र में दिए गए विवरण/तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं
विश्वास में शुद्ध एवं सत्य हैं। मैं मिथ्या विवरणों/तथ्यों को देने के परिणामों से भलीभांति अवगत हूँ। मैं
विश्वविद्यालय द्वारा जारी समस्त आदेशों/सूचनाओं/निर्देशों/अधिसूचनाओं/आरक्षण नियमों का पालन करूंगा
/करूंगी। यदि मेरे द्वारा उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन किया जाता है या आवेदन पत्र में दिए गए कोई भी
विवरण/तथ्य/प्रमाणपत्र मिथ्या पाए जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा मेरा/मेरी शोध निर्देशक की मान्यता
समाप्त करने संबंधित की जाने वाली कार्यवाही या अन्य कोई कार्यवाही अथवा विधि के अंतर्गत अभियोजन एवं
दंड दिया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा/ होऊँगी।

स्थान :

आवेदक या आवेदिका के हस्ताक्षर.....

दिनांक :

आवेदक या आवेदिका का नाम

मोबाइल नंबर